न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा गुप्ता (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 28/2026 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 30.03.2026 निर्णय दिनांक : 18.05.2026

उनवान

1. परमानन्द पुत्र हीरालाल स्वामी निवासी ग्राम डाबडावास तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान। .....प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान,
2. हनुमान पुत्र मांगीराम
3. भगवती देवी पुत्री मांगीराम
4. मुर्ति देवी पुत्री मांगीराम
   समस्त जाति स्वामी निवासी ग्राम डाबडावास तहसील मांढण जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।
5 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार मांढण जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।

.....अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री पी.के जोशी अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

।। निर्णय ।। दिनांक–18.05.2026

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष वाद बउनवानी हनुमान बनाम रामेश्वर वगै0 मुकदमा संख्या 03/2025 मय स्थगन प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।
3. वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष इश्तकरारहक व हुक्मईम्तनाई दवामी का वाद बअनुवानी हनुमान बनाम रामेश्वर वगैरा प्रकरण संख्या 03/2025 प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा परन्तु अधीनस्थ न्यायालय बिना अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के समर्थन के दस्तावेज को प्रति प्रार्थी को उपलध नहीं करवायी ना ही जवाब देही का युक्तियुक्त अवसर दिया अपितु अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के जवाब देही का अवसर समाप्त कर प्रकरण को फैसल करने पर पर उतारू हो रहे है। अप्रार्थीगण ऐलानियां कह रहे है कि उन्होने अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी अपार्थी संख्या 01 से बातचीत कर ली है एवं अब पत्रावली में प्रार्थी का जवाबदेही का अवसर समाप्त कर प्रकरण का निस्तारण शीघ्र करवा लेगे। अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी के आचरण से यह स्पस्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी को जवाब देही एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पत्रावली का निस्तारण करने पर उतारू हो रहे है व प्रार्थी व उनके अधिवक्ता वर अनैतिक दवाब बना प्रार्थी के विरुद्ध निर्णय पारित करने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के आचरण से प्रार्थी को उपरोक्त पत्रावली में न्याय की कतई उम्मीद नहीं है ऐसी सूरत में उपरोक्त पत्रावली का स्थानान्तरण उपखण्ड अधिकारी नीमराना से जिले के अन्यत्र राजस्व न्यायालय में किया जाना कानूनन न्यायसंगत है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष विचाराधीन वाद इश्तकरारहक व हुक्मईम्तनाई दवामी बउनवानी हनुमान बनाम रामेश्वर वगैरा प्रकरण संख्या 03/2025 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट बउनवानी हनुमान बनाम रामेश्वर वगैरा को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड से जिले के अन्यत्र राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश सादिर फरमावें।

5. वकील अप्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष प्रार्थी द्वारा दावा व उसके साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 आर०टी०ए० उनवान हनुमान वगै० बनाम रामेश्वर वगै० पेश किया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना द्वारा दावा के प्रतिवादीगंण को सुनवाई का पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर एवं विधिक प्रक्रिया अपनाकर पत्रावली में प्रोसिडिंग चालू की गई है। लेकिन प्रार्थी द्वारा पहली पेशी पर ही गलत तथ्यों के आधार पर बिना वजह पीठासीन अधिकारी पर गलत लांछन लगाते हुये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो मात्र प्रकरण में देरी करने के आशय से पेश किया गया है। अप्रार्थीगण ने कभी भी ऐसे कथन किसी को नही कहे। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष हम अप्रार्थीगण द्वारा दावा व प्रार्थना पत्र धारा 212 आर०टी०ए० पेश किया गया है। जिसमे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के पीठासीन अधिकारी द्वारा लीगल प्रक्रिया अपनाते हुऐ पत्रावली मे प्रोसिडिंग शुरू की गई है। जिससे हम अप्रार्थीगण का कोई संबंध नही है जो न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है। स्वंय प्रार्थी पीठासीन अधिकारी पर उक्त प्रकरण का निर्णय अपने पक्ष में करवाने के लिए राजनैतिक दबाव डलवा रहा है। जिससे पीठासीन अधिकारी गलत निर्णय करने से मना करने पर यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है।

अंत में वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि जबाब अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को मय खर्चा खारिज फरमाया जाने की कृपा करे।

6. वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, प्रार्थी अधिवक्ता की दलीलों, पत्रावली के समस्त अभिलेखों पर सम्यक् विचार किया गया। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस, विश्वसनीय अथवा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षपातपूर्ण आचरण किया जा रहा है अथवा प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की वास्तविक एवं युक्तियुक्त आशंका है। यह विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि केवल आशंका, अफवाह या एकपक्षीय कथनों के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रकरण के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने और अधीनस्थ न्यायालय पर अनुचित मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। चूँकि प्रार्थी पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है और केवल निराधार आशंकाओं के आधार पर स्थानांतरण की मांग की गई है, अतः न्याय के हित में ऐसे प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 18.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(अपर्णा गुप्ता)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़